समाहरणालय, जमुई

(निर्वाचन शाखा)

निविदा सूचना

जमुई जिला अन्तर्गत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के क्रम में निर्वाचन कार्य मे उपयोग होने वाली सामग्री 1. लेखन एवं अन्य सामग्री / मतदान एवं मतगणना सामग्री 2. विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों, लिफाफा एवं रजिस्टर का मुद्रण 3. भाड़े पर टेन्ट शमियाना, कुर्सी, टेबल, दरी, तिरपाल आदि 4. जेनरेटर (अस्थायी विधुतीकरण) एवं ध्वनी विस्तारक यंत्र 5. कम्प्यूटर सामग्री, सी०सी०टी०भी० कैमरा, प्रोजेक्टर, लाईव विडियो स्ट्रीमींग, भाड़े पर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, टी०वी०, फैक्स मशीन, स्कैनर, यू०पी०एस०,एवं जी०पी०एस० मशीन 6.विडियोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी,,7. भोजन, नस्ता, चाय सामग्री 8. भाड़े पर विभिन्न प्रकार के वाहन 9. फ्लैक्स, होडिंग एवं फ्रेमिंग 10. कोविड – 19 आदि हेतु मुहरबंद लिफाफे में इच्छुक फर्मो से दिनांक 04.08.2020 तक निविदा आमंत्रित की की गयी थी। निर्धारित तिथि एवं समय पर आईटम न० 3 में मात्र 2 निविदा एवं आईटम 4 मे मात्र 3 निविदा प्राप्त हुए जिसमें मान्य तकनिकि शर्तो को पुरा नहीं होने के कारण केवल एक निविदा सफल हुए, जिस कारण से निविदा को निरस्त किया गया। आईटम न० 6, 7, एवं 8 से संबंधित कोई निविदा प्राप्त नही हुए।

उक्त परिप्रेक्ष्य पुनः इच्छुक फर्मो से अलग–अलग मद का तकनिकि एवं वित्तिय निविदा अलग–अलग लिफाफे मे सीलबंद कर जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई मे दिनांक 27.08.2020 को 11.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सभी निविदाएँ उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें हैं। तकनीकी निविदा सफल होने पर उनका वित्तीय निविदा खोली जायेगी। कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है। जो निविदादाता दिनांक 04.08.2020 को निविदा दे चुके है उन्हे भी पुनः स्वच्छ निविदा सभी आवश्यक कागजात / प्रतिभूति राशि सहित पुनः देनी होगी।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई द्वारा निर्गत निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा स्वीकार की जायेगी। जिला द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्येक आईटम का अलग–अलग मो0 500.00 / – (पाँच सौ रुपये) का नाजीर रसीद जिला निर्वाचन शाखा, जमुई में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, जो वापस नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी जमुई जिले के website – **https://jamui.nic.in** पर देखा जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह– जिला पदाधिकारी, जमुई

समाहरणालय, जमुई

(निर्वाचन शाखा)

क्रम संख्या .... मूल्य 500:00 रूपये (प्रति निविदा)

कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई।

अल्पकालीन पुर्ननिविदा

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के क्रम में विभिन्न सामग्रियों का निविद प्रपत्र, जो कंडिका 1–9 तक में दिया गया है। नीचे अंकित सामग्री का क्रय/भाड़े पर आपूर्ति के लिए न्युन्तम दर प्राप्त करने हेतु मुहरबंद लिफाफे में इच्छुक फोर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क. मुहरबन्द निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 27.08.2020 – 11:00 बजे पूर्वाह्न तक

ख. मुहरबन्द निविदा खोलने की तिथि एवं समय– : 27.08.2020 – 03:00 बजे अपराह्न में

3. **विभिन्न मदों के लिए अग्रधन (जमानत) की राशि निम्न प्रकार है :–**

कंडिका	मद	अग्रधन की राशि
1	भाड़े पर टेंट/शमियाना, कुर्सी, टेबूल आदि।	1,00000.00 (एक लाख)
2	अस्थायी विद्युतीकरण, ध्वनी विस्तारक यंत्र आदि।	50,000.00 (पचास हजार)
3	विडियोग्रफी, डिजिटल फोटोग्राफी	10,000 (दस हजार)
4	भोजन नास्ता चाय	25,000.00 (पचीस हजार)

उक्त अग्रधन (जमानत) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक, (राष्ट्रीयकृत बैंक का), जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई के पद नाम से देय होगा, समर्पित करना आवश्यक है।

(ख). तकनीकि निविदा पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्र/कागजात संलग्न करना आवश्यक है :–

1. निविदादाता को तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा में देना होगा। दोनों – तकनिकी एवं वित्तीय मुहरबन्द लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में मुहरबन्द कर उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मी को व्यक्तिगत रूप से देना होगा, जो निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई में प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जयेगा।
2. एक व्यक्ति/फर्म एक से अधीक निविदा दे सकतें हैं, किन्तु कोटिवार/मदवार के लिए सुरक्षित राशि (अग्रधन की राशि) जमा करनी होगी।
3. अधूरा/सशर्त निविदा, फैक्स/ई–मेल से दिये गये निविदा, बिना अग्रधन के साथ प्राप्त निविदा तथा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. वित्तीय या तकनिकी निविदा खुलने के उपरान्त यदि अपूर्ण/वगैर, हस्ताक्षर/वगैर मुहर के निविदा पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. मोहरबंद निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधि[illegible] जमुई/प्राधिकृत पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला क्रय समिति के समक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी कक्ष मे खोला जायेगा। जिसमें निविदादाता को स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते है।
6. निविदा प्रपत्र मे दिये गये विवरण के आलोक में निविदा समर्पित करना होगा।
7. कंडिका 02 के क्रमांक 01 एवं 02 के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का Audit Balance Sheet संलग्न करना होगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 का Turn Over **दस लाख रूपये** या ऊपर होना चाहिए।
8. अद्यतन आयकर भुगतान (Up to date Income Tax Payment Certificate) (पिछले तीन वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक का) अद्यतन चुकता प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. विडियोग्रफ्री/डिजिटल फोटोग्रफ्री के लिए निविदा उपलब्ध कराने वाली सामाग्री/क्षमता (प्रति व्यक्ति के साथ कैमरा एवं अन्य एसोसिरीज सहित दर का उल्लेख करना होगा) जी0एस0टी0 का निबधन एवं प्रमाण–पत्र, अद्यतन रिटर्न वित्तीय वर्ष 2019–20 तक का संलग्न करना होगा।
10. बिहार राज्य का GST Registration होना चाहिए।
11. भुगतान पाने वाने प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवा कर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवा कर निबंधन संख्या/सेवा कर कोड एवं लेखा कोड अंकित करना होगा।
12. Partnership Firm की स्थिति में Partnership deed की प्रति लगाना होगा।
13. निविदादाता को काली सूची में नहीं डाला गया है, से संबंधित शपथ–पत्र लगाना होगा।
14. प्रतिष्ठान स्थल/परिसर अगर रेंट पर है, तो मकान मालिक से अनुबंध साक्ष्य के रूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में स्थल/परिसर का जाँच भी किया जा सकता है।
15. टेंट शामीयाना/अस्थायी विद्युत उपकरण के भंडार स्थल का साक्ष्य/शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस क्रम में स्थल जाँच भी किया जा सकता है।
16. फर्म को बिहार में कम–से–कम किसी एक जिले में चुनाव वर्ष में काम करने का अनुभव हो। कार्यादेश की प्रति संलग्न करना अनवार्य है।
17. SP द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग). वित्तीय निविदा की मुख्य शर्ते :–

1. जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में ही दर अंकित करने की बाध्यता है, न की उसकी छायाप्रति या अन्य प्रकार के कागज पर।
2. जिन निविदादाताओं का तकनीकी निविदा स्वीकृत योग्य पाया जायेगा उन्हीं का वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
3. निविदादाता को वित्तीय निविदा में मात्र सामग्री का पूर्ण दर अंकित करना होगा।
4. सफल निविदादाता को कार्य करने के लिए किसी प्रकारी की अग्रीम देने की बाघ्यता नहीं होगी एवं कोई परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा।
5. सामग्री की आपूर्ति के पश्चात् गुणवत्ता की जाँच के बाद भुगतान किया जायेगा। आपूर्ति की जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेबारी होगी।
6. Original Invoice (जिसमें Taxes आदि स्पष्ट रूप से अंकित हो) समर्पित करना होगा।
7. चयनित फर्म से सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतान किये जानेवाले विपत्र पर Income Tax, GST एवं अन्य करो की नियमानुसार कटौती के बाद विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

8. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला निर्वाचन कार्यालय व संबंधित स्थलों पर निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना होगा।

(घ). अन्य शर्ते :–

09. निर्धारत समय सीमा के अन्दर कार्य निष्पादन नहीं करने/ आपूर्ति नहीं करने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही फर्म को सुसंगत धाराओं के तहत उनके विरुद्ध कानुनी कार्रवाई की जा सकती है, तथा फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है।

10. फर्म की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद ही कार्य आवंटित किया जायेगा।

11. वगैर कोई कारण बताये निविदा को रद्द करने, संसोधित करने, स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

12. निविदादाता को निर्वाचन भंडार/चयनित स्थल तक पहुँचाने एवं सभी प्रकार के कर सहित दर प्रस्तुत करना होगा। अलग से किसी प्रकार की राशि देय नही होगा।

13. निर्धारित न्यूनतम दर पर एक से अधीक सफल निविदादाताओं के साथ एकरामनामा करने कार्य कराने/आपूर्ति संबंधी दर से निर्धारण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा

14. किसी भी प्रकार का विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय, जमुई के क्षेत्राधिकार में होगा।

15. टेन्ट/समियाना/विद्युत व्यवस्था, विडियो ग्राफी/फोटोग्राफी एवं भोजन/नास्ता ईत्यादी में स्थानीय एजेन्सी को प्राथमिकता दी जाएगी।

16. ***अधिक जानकरी के लिए निर्वाचन कार्यालय, जमुई से या दूरभाष संख्या–06345–222003 पर सर्म्पक किया जा सकता है।***

13/8/2020

उप निर्वाचन पदाधिकारी
जमुई

13/8/2020

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, जमुई।

13/08/20